संख्या-276/2023/1590/001-41-2023-24-Budget-2017

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 28 मार्च, 2023**

विषयः- **जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्टस काम्प्लेक्स एवं मनोरंजन झील की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-9759/6-1-1(यू0सी0/रा0यो0)/2022-23, दिनांक 21 मार्च, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. **जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्टस काम्प्लेक्स एवं मनोरंजन झील की परियोजना** हेतु चयनित कार्यदायी संस्था कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित की गयी लागत के सापेक्ष योजना हेतु अवमुक्त की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का विवरण निम्नवत् हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	शासनादेश संख्या व दिनाँक	प्रशासकीय स्वीकृति	अवमुक्त धनराशि
1.	2018-19	सं0-95/2018/1251/41-2018-24(बजट)/2017 दिनाँक 30.03.2018	4012.00	2500.00
2.	2019-20	सं0-99/2020/795/41-2020-24(बजट)/2017 दिनाँक 06.03.2020		700.00
3.	2020-21	सं0-227/2020/2684/41-2020-24(बजट)/2017 दिनाँक 15.10.2020		500.00
4.	2020-21	सं0-281/2020/911/41-2021-24(बजट)/2017 दिनाँक 24.03.2021		312.00
5.	2021-22	सं0-377/2021/आई/84263/2021/2021/41-1002/547/2019/24 (बजट)/2017 दिनांक 20.07.2021	4475.39 **(संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति)**	--
6.	2021-22	सं0-383/2021/41-2021/1841/2021/24(बजट)/2017 दिनाँक 05.08.2021		78.10
7.	2021-22	सं0-164/2022/732/41-2022/24(बजट)/2017 दिनाँक 26.03.2022		100.00
8	2022-23	सं0-200/2023/आई/289318/41-1002-547-2019-24-Budget-2017, दिनांक 18.03.2023	4934.72 **(जी0एस0टी0 सम्पादित कार्यों पर 12 प्रतिशत एवं अवशेष कार्यों पर 18 प्रतिशत संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति)**	----
		कुल योग		**4190.10**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रश्नगत प्रायोजना हेतु धनराशि रू0 350.00 लाख (रू0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 30.03.2018, 06.03.2020, 15.10.2020, 24.03.2021, 20.07.2021, 05.08.2021, 26.03.2022 एवं 18.03.2023 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(3) व्यय वित्त (आय-व्ययक), उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021, वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च 2022, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/ 2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/ 2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022 दिनांक 04 नवम्बर, 2022 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) प्रायोजना की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा।

(10) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(11) परियोजना को निश्चित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराए जाने की जिम्मेदारी पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 3,50,00,000 (रूपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801043400 गोरखपुर स्थित रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्टस का विकास मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. श्री दिनेश कुमार**,** उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर।
9. मुख्य अभियन्ता, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम गोरखपुर।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।